

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(5)/LA-2013/Cons Law/16-10.75

Dated the 06 September, 2013

To

The Special Secretary (GAD),  
General Administration Department,  
Government of NCT of Delhi  
2<sup>nd</sup> Level, A-Wing,  
Delhi Secretariat,  
New Delhi.

**Sub: Gazette Notification of the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2013 (Delhi Act 05 of 2013)**

Sir,

I am directed to forward herewith two copies of the subject cited notification (English and Hindi versions) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV)-Extra-Ordinary today itself. It is requested that at least 10 Gazette copies of the same may be sent to this Department as soon as received from the press.

Yours faithfully,

Encl: As above

*(Signature)*  
(Tarun Sahrawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

No. F.14(5)/LA-2013/

Dated the September, 2013

Copy, together with the copy of enclosures, forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi-110001 (with 5 copies).
2. The Joint Secretary & Legislative Counsel, Government of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Department (Correction Cell), Shastri Bhawan, New Delhi-110001 (with 2 copies).
3. The Pr. Secretary to Lieutenant Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-110054.
4. The Pr. Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
5. The Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
6. The Commissioner (T&T), Govt. of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002.
7. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
8. The Secretary (LA), Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054.  
Guard file.

*(Signature)*  
(Tarun Sahrawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

*(Signature)*  
11/9  
OSCA,  
2788/LA  
29/13

433/68  
12/9/13



GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(5)/LA-2013/Cons2 law/65

Dated 9 the September, 2013

NOTIFICATION

NO. F.14(5)/LA-2013/Cons2 law/65 The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 05<sup>th</sup> September, 2013 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2013  
(DELHI ACT 05 OF 2013)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 29<sup>th</sup> August, 2013)

[5<sup>th</sup> September, 2013]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.  
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.  
(3) It shall come into force on such date as the Government may by notification in the official Gazette, appoint.
2. Amendment of section 2.- In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereinafter referred to as 'the principal Act', in section 2, in sub-section (1) -  
(i) for clause (e), the following shall be substituted, namely: -  
(e) "business premises" includes -  
(i) the address of a dealer, registered with the Commissioner;  
(ii) any building or place used by a person for the conduct of his business, except for those parts of the building or place used principally as a residence;  
(iii) any place from where a dealer carries on business through an agent (by whatever name called), the place of business of such agent; and  
a warehouse, godown or such other place where a dealer stores his goods."  
(ii) in clause(m), in sub-clause(ii), after the word 'movable' the words "or immovable" shall be inserted.
3. Amendment of section 11.- In the principal Act, in section 11, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely: -  
(2) "Where the net tax of a dealer calculated under sub-section (1) of this section amounts to a negative value, the dealer shall -  
(a) adjust the said amount in the same tax period against the tax payable by him under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), if any; and



(b) be entitled to carry forward the amount remaining after application under sub-section (2)(a) to next calendar month or tax period, as the case may be, of the same year, or

claim a refund of the amount remaining after application under sub-section (2)(a) at the end of a tax period of the same year and the Commissioner shall deal with the refund claim in the manner described in section 38 and section 39 of this Act.

*Explanations-1.* Refund can be claimed at the end of a tax period only.

2. Excess tax credit should not be carried forward to the next year.

3. Refund of excess tax credit carried forward from previous years should be claimed in any of the remaining tax periods of year 2013-2014 but not later than the last tax period ending on 31.03.2014.

4. Excess tax credit remaining at the end of a tax period can either be claimed as refund or carried forward to next tax period of the same year.

5. Excess payment made inadvertently shall also be treated as credit in a month or tax period as the case may be.”.

4. **Amendment of section 25.-** In the principal Act, in section 25, in sub-section (1),” after the words “under section 38 of this Act” and before the words “require a person”, the following shall be inserted, namely:-

“or as a condition of de-sealing or release under sub-section (4) of section 60,”.

5. **Amendment of section 35.-** In the principal Act, in section 35, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

(2) “Where a person has made an objection to an assessment or part of an assessment and has complied with the condition, if any, to entertain such objection in the manner provided in section 74 of this Act, the Commissioner may not enforce the payment of balance amount in dispute under that assessment until the objection is resolved by the Commissioner.”.

6. **Amendment of section 48.-** In the principal Act, in section 48, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

(1) “Every –

(a) Dealer;

(b) person on whom a notice has been served to furnish returns under section



*June*



27 of this Act;

shall prepare, maintain and retain sufficient records at the principal place of business as recorded in his certificate of registration to allow the Commissioner to readily ascertain the amount of tax due under this Act, and to explain all transactions, events and other acts engaged in by the person that are relevant for any purpose of this Act,;

PROVIDED that the dealer maintaining computerised books of accounts using a software should be able to readily provide soft and/or hard copy of the records at the principal place of business as recorded in his certificate of registration, as and when required by the Commissioner.

*Explanation:* The dealer may maintain and retain soft copy of the records as means of compliance with the requirement of this sub-section.”.

7. Amendment of section 58A.- In the principal Act, in section 58A, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

(1) “If the Commissioner, having regard to. -

- (a) the nature and complexity of the business of a dealer; or
- (b) the interest of the revenue; or
- (c) volume of accounts; or
- (d) doubts about the correctness of the accounts; or
- (e) multiplicity of transactions in the accounts; or
- (f) specialised nature of business activity; or
- (g) non-production of all records and accounts; or
- (h) non-filing of audit report under section 49 of this Act; or
- (i) any other reason.

is of the opinion that it is necessary so to do, he may direct the dealer by a notice in writing to get his records including books of accounts, examined and audited by an accountant or a panel of accountants or any other professional or panel of professionals nominated by the Commissioner in this behalf and to furnish a report of such examination and audit in the format that he may specify, duly signed and verified by such accountant or panel of accountants or professional or panel of professionals and setting forth such particulars as may be specified.”.

8. Amendment of section 60.- In the principal Act, in section 60, in sub-section (4), for the word “directed” the word “prescribed” shall be substituted.

9. Amendment of section 70.- In the principal Act, in section 70 of sub-section (5) shall be deleted.



*gww*



10. Amendment of section 86.- In the principal Act, in section 86,-

(i) for sub-section(1), the following shall be substituted, namely: -

(1) "In this section "tax deficiency" means the difference between the tax properly payable by the person in accordance with the provisions of this Act and the amount of tax paid by the person in respect of a calendar month.

*Explanations-1* - 'Tax properly payable' includes the amount of tax assessed under section 32 of the 'Act'.

2. Due tax paid after the period specified in sub-section (4) of section 3 of the Act, is also a tax deficiency."

(ii) the second proviso of sub-section (2) shall be deleted.

(iii) in sub-section (5), for the word 'one' the word 'five' and for the word 'five' the word 'ten' shall be substituted.

(iv) in sub-section (6) for the word 'hundred' the word 'thousand' and for the word 'five' the words "twenty five" shall be substituted.

(v) for sub-section (9), the following shall be substituted, namely:-

(9) "If a person required to furnish a return under Chapter V or to comply with a requirement in a notification issued under section 70 of this Act -

(a) fails to furnish any return by the due date; or

(b) fails to furnish with a return any other document that is required to be furnished with the return; or

(c) being required to revise a return already furnished, fails to furnish the revised return by the due date; or

(d) fails to comply with a requirement in a notification issued under section 70;

the person shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of five hundred rupees per day from the day immediately following the due date until the failure is rectified:

PROVIDED that the amount of penalty payable under this sub-section shall not exceed fifty thousand rupees."

(vi) in sub-section (13), for sub-clause (c), the following shall be substituted, namely:-

(c) "retain prescribed or notified records or accounts;  
and the person -

(i) fails to prepare the prescribed or notified records and accounts; or

(ii) fails to prepare prescribed or notified records and accounts in the prescribed manner; or

(iii) fails to retain the prescribed or notified records and accounts for the prescribed period; or

(iv) fails to retain and/or produce the prescribed or notified records at the principal place of business as recorded in his certificate of registration; or



*Law*



(v) fails to comply with a direction issued or fails to produce prescribed or notified records and accounts, or cause them to be produced, on or before the date specified in any notice served on him by the Commissioner or by an accountant or a panel of accountants or any other professional or panel of professionals nominated by the Commissioner in this behalf under sub-section (1) of section 58A; the person shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of fifty thousand rupees or twenty per cent of the tax deficiency, if any, whichever is greater.”.

(vii) in sub-section (19), for the word ‘forty’, the word ‘twenty’ shall be substituted.

(viii) In sub-section (22), for the word ‘ten’, the words ‘twenty five’ shall be substituted.

(ix) after sub-section (23), the following shall be inserted, namely.-

“(24) Any person, who contravenes any of the provisions of this Act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided under the Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees.”.

11. Amendment of section 89.- In the principal Act, in section 89,-

(i) in sub-section (4), in clause (h), for the word and figure “section 59”, the word and figures “sections 58, 58A or 59” shall be substituted,

(ii) for sub-section (7), the following shall be substituted, namely.-

“Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (5) of this section, no person shall be proceeded under these sub-sections, if

(a) the total amount involved is less than two hundred rupees during the period of a year; or

(b) the person has voluntarily disclosed existence of tax deficiency under sub-section (6) of section 87 of the Act.”.

12. Amendment of section 102. – In the principal Act, in section 102, in sub-section (2), clause (zd), shall be deleted.

13. Insertion of new section 107.- In the principal Act, after section 106, the following shall be inserted, namely: -

“107. Amnesty Scheme(s).- Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and Rules thereto, the Government may by notification in the official Gazette, notify amnesty scheme(s) covering payment of tax, interest, penalty or any other dues under the ‘Act’, which relate to any period ending before 1<sup>st</sup> day of April, 2013, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, covering period of limitation, rates of tax, tax, interest, penalty or any other dues payable by a class of dealers or classes of dealers or all dealers.”.



*(Signature)*  
06/09/12  
(Tarun Sahrawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)



(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)  
आठवों तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(5)/एलए-2013/Cons2law/65

दिनांक 9 सितंबर, 2013

#### अधिसूचना

सं० फा० 14(5)/एलए-2013/Cons2law/65 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 05 मार्च, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसको जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

“दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013  
(2013 का दिल्ली अधिनियम 05)

(29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[5 सितंबर, 2013]

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. सक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
  - (2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा ।
  - (3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा ।
2. धारा 2 का संशोधन:- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” रूप में संदर्भित की धारा 2 की उपधारा (1)-
  - (i) के खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
    - (ड) “व्यापार परिसर” सम्मिलित हैं-
    - (i) व्यापारी का पता, आयुक्त के साथ पंजीकृत,
    - (ii) मूलतः आवास के रूप में उपयोग किये जा रहे भवन अथवा स्थल के उन भागों को छोड़कर, अपने व्यापार के संचालन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग कोई भवन या स्थल,
    - (iii) किसी एजेंट के माध्यम से कोई व्यापारी किसी स्थान पर अपना व्यापार चलाता है (चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो), ऐसे एजेंट के व्यापार का स्थल, तथा कोई भंडारगृह, गोदाम अथवा ऐसा अन्य स्थल जहां व्यापारी अपनी वस्तुओं का भंडारण करता है ।”
  - (ii) ~~खंड (सम) के उपखंड (ii) में “चल” शब्द के पश्चात् “या अचल” शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा ।~~
3. धारा 11 का संशोधन:- मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
  - (2) “जहां इस धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत व्यापारी को परिकलित शुद्ध कर की राशि शून्य है तो, व्यापारी-
  - (क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के लिए उसी कर अवधि में उक्त राशि का समायोजन किया जाएगा, यदि कोई है; तथा

2/11



(ख) उसी वर्ष के अगले कैलण्डर माह या कर अवधि के लिए, जैसी भी स्थिति हो, उपधारा (2) के अन्तर्गत आवेदन के पश्चात् शेष राशि को अग्रेसित करने का पात्र होगा, अथवा

उसी वर्ष की कर अवधि के अन्त पर उपधारा (2) (क) के अन्तर्गत आवेदन के पश्चात् शेष राशि के रिफंड का दावा करेगा तथा आयुक्त इस अधिनियम की धारा 38 तथा धारा 39 के अन्तर्गत वर्णित तरीके से धन वापसी पर कार्यवाही करेगा।

व्याख्या 1: केवल कर अवधि के अन्त पर ही रिफंड का दावा किया जा सकेगा।

2. अधिक कर क्रेडिट आगामी वर्ष में अग्रेसित नहीं किया जाएगा।
3. पूर्व वर्षों से अग्रेसित किया गया अधिक कर क्रेडिट का रिफंड वर्ष 2013-14 की किसी शेष कर अवधि में दावा किया जाएगा लेकिन 31.3.2014 को समाप्त अन्तिम कर अवधि के पश्चात् नहीं।
4. कर अवधि के अन्त पर शेष अधिक कर क्रेडिट या तो रिफंड के रूप में दावा अथवा उसी वर्ष की कर अवधि में अग्रेसित होगा।
5. अनजाने में किया गया अधिक भुगतान माह में अथवा कर अवधि, जैसी भी स्थिति हो, में क्रेडिट समझा जाएगा।
4. धारा 25 का संशोधन :- मूल नियमावली की धारा 25 की उपधारा (1) में "इस अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत" शब्दों के पश्चात् तथा "व्यक्ति के लिये अपेक्षित" शब्दों से पूर्व निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-  
"धारा 60 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अथवा डी-सिलिंग या छोड़ने की शर्त के रूप में"
5. धारा 35 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
(2) " जहां इस अधिनियम की धारा 74 में उपबंधित पद्धति से ऐसी आपत्ति को स्वीकार करने के लिए किसी कर निर्धारण या कर निर्धारण के भाग के लिए किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति की है और शर्त का पालन किया है, यदि कोई हो, तो आयुक्त, आयुक्त द्वारा आपत्ति के समाधान होने तक कर निर्धारण के अन्तर्गत विवादित शेष राशि के भुगतान को लागू नहीं कर सकता।"
6. धारा 48 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
(1) "प्रत्येक  
(क) व्यापारी;  
(ख) वह व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत रिटर्न भरने के लिए नोटिस तामील किया गया है;

इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की राशि का तत्काल पता लगाने के लिए और समस्त सौदों, विषयों को स्पष्ट करने के लिए और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अन्य कृत्यों के लिए जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं को स्पष्ट करने के लिए आयुक्त को अनुमत्त करने के लिये वह अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज प्रमुख व्यापार स्थल पर पर्याप्त अभिलेख तैयार रखरखाव तथा परीक्षण करेगा:

बशर्ते कि व्यापारी कम्प्यूटरीकृत लेखा बहियों को रखेगा जिसमें साफ्टवेयर जल्दी उपलब्ध होगा तथा/अथवा अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र अभिलेखबद्ध किया था, आयुक्त द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा।

तरन



व्याख्या :- इस उपधारा की आवश्यकतानुसार व्यापारी अनुपालन के लिए अभिलेख की सॉफ्ट कॉपी को रखेगा।"

7. धारा 58क का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 58क, की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1) "यदि आयुक्त, का इस संबंध में—

- (क) व्यापारी के व्यवसाय की प्रकृति एवं जटिलता; अथवा
- (ख) राजस्व का ब्याज; अथवा
- (ग) लेखा बहियों की मात्रा; अथवा
- (घ) लेखों की सत्यता के बारे में सन्देह; अथवा
- (ङ) लेखा बहियों में सौदो की बहुलता; अथवा
- (च) व्यापार गतिविधियों की विशेष प्रकृति; अथवा
- (छ) समस्त अभिलेखों एवं लेखा बहियों को प्रस्तुत न करना; अथवा
- (ज) इस अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा नहीं करना; अथवा
- (झ) अन्य कोई कारण।

अभिमत है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह व्यापारी को अपने अभिलेख जिसमें लेखा बहियों भी शामिल है, इस संबंध में आयुक्त द्वारा नामित किसी लेखाकार या लेखाकार के किसी पैनल या किसी अन्य व्यवसायी या व्यवसायियों के पैनल द्वारा जाँच तथा लेखा परीक्षा कराने के लिए लिखित में नोटिस देकर व्यापारी को निदेश दे सकते हैं और ऐसी जाँच तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह ऐसे लेखाकार या लेखाकारों के पैनल या व्यवसायी या व्यवसायियों के पैनल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर और सत्यापित करने का उल्लेख कर सकता है और यथाविनिर्दिष्ट ऐसे विवरण का उल्लेख कर सकता है।

8. धारा 60 का संशोधन:-मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (4) में "निदेशित" शब्द के स्थान पर "निर्धारित" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. धारा 70 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) को हटाया जायेगा।

10. धारा 86 का संशोधन:- मूल अधिनियम की धारा 86 में—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1) इस धारा में "कर कमी" का अर्थ किसी कैलेंडर माह के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति द्वारा उचित रीति से देय कर की राशि तथा व्यक्ति द्वारा भुगतान किये गए कर की राशि के बीच अन्तर से है।

व्याख्या 1 :- "उचित रीति से देय कर" में "अधिनियम" की धारा 32 के अन्तर्गत निर्धारित की गई कर की राशि शामिल है।

2. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् भुगतान किए गए देय कर की राशि भी कर कमी है।"

(ii) उपधारा (2) का द्वितीय उपबंध हटाया जाएगा।

(iii) उपधारा (5) में आए शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "पांच" तथा शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "दस" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

तरन



(iv) उपधारा (6) में आए शब्द "सौ" के स्थान पर शब्द "हजार" तथा शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "पचीस" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(v) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(9) "यदि किसी व्यक्ति को अध्याय 5 के अन्तर्गत विवरणी प्रस्तुत करनी या इस अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत जारी किसी अधिसूचना की अपेक्षा का अनुपालन करना अपेक्षित है तो -

(क) देय तिथि तक कोई विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; अथवा

(ख) किसी विवरणी के साथ कोई अन्य प्रलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है जो विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है; अथवा

(ग) पहले ही प्रस्तुत की गई विवरणी को संशोधित करना अपेक्षित होने पर देय तिथि तक संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; अथवा

(घ) धारा 70 के अन्तर्गत जारी किसी अधिसूचना की अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है;

तो व्यक्ति अर्धदंड के रूप में पांच सौ रुपये प्रतिदिन की दर से देय तिथि के तुरन्त बाद के दिन से लेकर विफलता का निवारण होने तक राशि के भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा;

शर्त यह है कि इस उपधारा के अन्तर्गत देय दंड की राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।"

(vi) उपधारा (13) के उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ग) निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख या लेखा रखना;

तथा व्यक्ति-

(i) निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख तथा लेखा तैयार करने में विफल रहता है; अथवा

(ii) निर्धारित पद्धति से निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख तथा लेखा तैयार करने में विफल रहता है; अथवा

(iii) निर्धारित अवधि के लिये निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख तथा लेखा रखने में विफल रहता है; अथवा

(iv) अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र में अभिलेखबद्ध/दर्ज प्रमुख व्यापार स्थल पर निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख रखने तथा/अथवा प्रस्तुत करने में विफल रहता है; अथवा

(v) जारी किसी निदेश को अनुपालन करने में विफल रहता है या निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख या आयुक्त द्वारा या धारा 58क की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस संबंध में आयुक्त द्वारा नामांकित किसी लेखाकार या लेखाकारों के किसी पैनल या किसी अन्य व्यवसायी या व्यवसायियों के पैनल द्वारा उसे तामील किए गए किसी नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को या पहले प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

तो व्यक्ति अर्धदंड के रूप में पचास हजार रुपये या कर कमी, यदि कोई हो, का बीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा।"

(vi) उपधारा (19) में आए शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।



(vii) उपधारा (22) में आए शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "पच्चीस" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(viii) उपधारा (23) के बाद निम्नलिखित सन्निविष्ट की जाएगी।

"(24) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इस के अन्तर्गत बनाए किन्हीं नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, जिसके लिये अधिनियम के अन्तर्गत अलग से किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं की गयी है, वह दस हजार रुपये के अर्थदंड के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

11. धारा 89 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 89 में—

(i) उपधारा (4) के खंड (ज) में शब्द तथा संख्या "धारा 59" के स्थान पर शब्द तथा संख्याएं "धारा 58", 58क या 59" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात् :-

"इस धारा की उपधारा (1) से (5) में कुछ भी रहते हुए कोई भी व्यक्ति इन उपधाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं करेगा, यदि —

(क) किसी वर्ष की अवधि के दौरान दौ सौ रुपये से कम कुल राशि का मामला है; अथवा

(ख) अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (6) के अन्तर्गत व्यक्ति ने स्वेच्छा से कर कमी होने को प्रकट किया है।

(12) धारा 102 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 102 की उपधारा (2) के खंड (य ग) हटाया जाएगा।

(13) नयी धारा 107 को सन्निविष्ट करना :- मूल अधिनियम की धारा 106 के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

"107 क्षमा स्कीम— इस अधिनियम तथा इसकी नियमावली में कुछ भी प्रतिकूल रहते हुए सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 01 अप्रैल, 2013 से पहले समाप्त किसी अवधि से संबंधित "अधिनियम" के अन्तर्गत कर, ब्याज, अर्थदंड या कोई अन्य देनदारियों के भुगतान से संबंधित क्षमा स्कीम घोषित कर सकती है और इसमें यथाविनिर्दिष्ट ऐसे शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, समय-सीमा के भीतर, कर की दर, ब्याज, अर्थदंड या कोई अन्य देनदारियां जो व्यापारियों की किसी श्रेणी या व्यापारियों की सभी श्रेणियों द्वारा देय हैं।

तारुन सहरावत

(तारुन सहरावत)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)